# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 54 / 2017 दायरा दिनांक : 05.05.2017**

**उनवान**

स्नेह काले आत्मज स्वर्गीय श्री बसंत काले, जाति दक्षिणी ब्राहमण, निवासी 515 राजा राम नगर देवास, जिला देवास मध्य प्रदेश

.... अपीलांट

**बनाम**

1. मांगीलाल उम्र 51 वर्ष आत्मज कंवर लाल, जाति धाकड, निवासी सुनेल तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
2. बिरदीबाई उम्र 57 वर्ष पत्नी रामसिंह, जाति धाकड, निवासी सुनेल तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
3. जानकीलाल उम्र 60 वर्ष आत्मज भंवर लाल, जाति धाकड, निवासी सुनेल तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
4. प्रहलाद उम्र 50 वर्ष आत्मज भंवर लाल, जाति धाकड, निवासी सुनेल तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
5. प्रकाश उम्र 40 वर्ष आत्मज भंवरलाल, जाति धाकड, निवासी सुनेल तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अशोक कुमार चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 20.07.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 69/2012 निर्णय दिनांक 30.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण विनोद काले एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सुनेल की खतोनी संख्या नयी 1055 पुरानी 960 में आराजी खसरा नम्बर 471 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 478 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा स्थित है । जिसमें से खसरा नम्बर 478 की आराजी विवादित है । दिनांक 07.08.1994 को जयन्तराव आत्मज दमातयकाले ने अपने आपको सुनेल का निवासी बताते हुए अपने और अपने भाइयों चिन्तामण, विनायक व बसंत का अपने को पावर आफ अर्टोनी बताते हुए इस आराजी में से 1/4 हिस्सा प्रार्थी नम्बर 1 को 10000/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभलाया था और 3/4 हिस्सा प्रार्थी नम्बर 2, 3, 4 को बेचान कर कब्जा संभलाया था । इस आराजी पर कब्जा मुखालफाना प्रार्थी का चला आ रहा है । प्रार्थीगण खातेदार हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में में मांगीलाल, जानकीलाल के हस्ताक्षर और किसी अन्य के अंगूठा निशानी लगा हुआ है और उसी दिनांक को निर्णय पारित करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक बसंत काले का पुत्र है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार विनायक काले, चिन्तामण काले, बसंत काले, जयन्त काले, हेमन्त काले व शालिनी काले हैं । किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार विनोद काले नहीं है एक मात्र खातेदार प्रतिवादी नम्बर 2 शालिनी है जिनकी भी मृत्यु वाद पेश करने से पूर्व हो चुकी है । मृतक के खिलाफ वाद पेश किया गया है, बिना खातेदारों को तलब किये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट की विधि सम्मत तामील नहीं हुई है । निर्णय की जानकारी पिता की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण हेतु पटवारी से सम्पर्क करने पर हुई । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । इसमें उल्लेख किया गया है कि कोई भी खातेदारान जीवित नहीं है । सभी खातेदारान की मृत्यु हो चुकी है । एक मात्र प्रार्थी बसंत काले का पुत्र जीवित है । अतः अपील पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जमाबंदी में जो पक्षकार हैं उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । शालिनी काले जीवित नहीं है । मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया है । पत्रावली तलबी में लम्बित है इसको लोक अदालत में रखा गया है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । कोई विक्रय पत्र पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान नहीं था । वादग्रस्त आराजी में उनका हित किस प्रकार निहित है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है । धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर सकते थे । वहां पेश नहीं किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब एवं तलबी में लम्बित है । इसको लोक अदालत में रखा गया है । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं है और उसी दिन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । विनोद काले वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार नहीं है । उन्हें किन परिस्थितियों में पक्षकार बनाया है यह स्पष्ट नहीं है । अपीलांट का यह कथन है कि अप्रार्थी नम्बर 2 की दावा दायरी से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है । मृत व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश किया गया है । अपीलांट स्वयं को खातेदारान का एक मात्र वारिस बताते हैं और वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध पक्षकार बताते हैं । इन तथ्यों के आधार पर उन्होंने 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

साथ ही अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवायी का अवसर नहीं मिला है । ऐसी स्थिति में उनका मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । हम इस प्रकरण में अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान करना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में सी पी सी की पालना किये बिना अप्रार्थीगण को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और अप्रार्थी नम्बर 1 विनोद काले प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार नहीं है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.10.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा